पंजीकृत

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

उप क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, खुराना कॉम्पलैक्स जजी कोर्ट के सामने,

8486 नैनीताल रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तरांचलपिन - 263 141

संख्या, ई० पी० एफ० / क्षे० का० / प्रवर्तन / यू० ए० / 34653

दिनांक 17.3.08

सेवा में

श्री M/S NATH HR CONSORTIUM
57, G.F. ANGED DEV COMPLEX
NAINITAL ROAD RUDRAPUR (U.S. NAGAR)

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रूचित स्कीमों का मैसर्स M/S NATH HR CONSORTIUM, 57, GF ANGED DEV COMPLEX NAINITAL ROAD RUDRAPUR पर लागू होना

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 10/3/08. (239) को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा × 20-05-07 के लिए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

(क.) आपकी स्थापना / फैक्ट्री अर्थात मैसर्स M/S NATH HR CONSORTIUM. RUDRAPUR ✓ जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों / अनुसूची-1 में शामिल Ex Part Services कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना / फैक्ट्री में दिनांक 12-02-2007 की (35) व्यक्ति कार्यरत है।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (द) के उपबन्धों अन्तर्गत की /3 वर्षे की प्रारम्भिक अवधि दिनाक .... को पूरी कर ली है। (22-9-97) से समाप्त कर दिया गया)

(द) अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं / विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर है, आपके पूर्व अवधि के अभिलेखो की जांच की शर्त पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 1-(3)-(क)-/ 1 (3) (ख) के अन्तर्गत दिनांक 12-02-2007 से आवृत की जाती है।

अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपका स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे पत्र आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के संदर्भ में आपको स्थापना अर्थात .... को कोड संख्या .... अलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को स्थाई रूप से आवृत में लिया जा रहा है जब तक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा द्वारा पदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय निधि आयुक्त अधिसूचना जारी नहीं करते।

2. आपकी स्थापना का कोड नम्बर यू0 ए0 /34653 - कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णीत उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 कर्मचारी पेंशन स्कीन, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आबंटित किया गया है यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी का 10% 12% की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

(अ) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता, आदि चाहे दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो की जायेगी।

(ब) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रूपये में अर्थात 50 पैसा या अधिक कों एक रूपये में तथा 50 पैंसे में छोड़कर की जायेगी।

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से वेतन काटें और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में एकल चालान द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(क) क0भ0नि0 अंशदान	क0 भ0 नि0 लेखा सं0 1 में जमा कराया जाये।
(ख) प्रशासकीय प्रभार	क0 भ0 नि0 लेखा सं0 2 में जमा कराया जाये।
(ग) कर्मचारी पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंशदान से वेतन का 8.33%	क0 भ0 नि0 लेखा सं0 10 में जमा कराया जाये।

टिप्पणी (1) प्रशासकीय प्रभार की दर 1-19-86 से वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का है जो न्यूनतम 5 रूपये है।

(2) कृपया इस बात को नोट किया जाये कि यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटोती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि जमा करानी होगी क्योकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां से यह वूसली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नही हो सके।

(3) चूंकि आपकी स्थापना पूर्ववती तिथि से आवृति में ली गई है अतः 21-9-97 तक अंशदान की दुर 8.33% 10% होगी दिनांक 22-9-97 से अंशदान की दर कर्मचारी के वेतन का 10% / 12% होगी।

5. उल्लिखित लेखा संख्या 1,2, और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आप से यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान ओर प्रशासन लेखा संख्या 21 ओर 22 में प्रतयेक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर निम्नलिखि रूप से जमा करायें।

(1)	निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21	इस लेख में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की अदा किए जाने वाला मूल वेतन मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि को 0.5% होगा।
(2)	क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22	इस लेखे में प्रशासकीय प्रभार दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन मंहगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धो रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, तो कुल राशि का प्रशासकीय प्रभार की न्यूनतम राशि 2 होगी।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि एकल चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तृतीय प्रति फार्म संख्या 12 क (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6. आपसे अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार /प्रेषित करे-

(1)	क.भ.नि. स्कीम 1952 तथ क0पें0 स्की, 1995 के अन्तर्गत फार्म सं0 9	यह रिटर्न केवल कर्मचारीयों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जगा करनी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गये है।
(2)	क.भ.नि. स्कीम और क.पें. निधि के अन्तर्गत फार्म सं0 2	ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते है।
(3)	फार्म सं0 5-क	यह दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों के किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
(4)	फार्म सं-3ए	यह फार्म प्रत्येक सदस्य/ कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री / स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म में अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टि करनी होती है।
(5)	फार्म सं0 6ए	यह अंशदान मासिक रिटर्न फार्म है जिसे प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3ए के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अंतिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए,) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।
(6)	फार्म सं0 12 ए	यह अंशदान मासिक रिटर्न फार्म है जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से सम्बन्धित चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए।
(7)	फार्म सं0 5 और 10	यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाये जाते है या नौकरी छोड़ जाते हैं और अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(7) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 पेंशन निधि स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय मे उपलब्ध है और इन्हें निशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

(8) कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी पेशन निधि एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से बन्धित .... 12-02-07 से 31-03-2008 तक की देय राशि........ 15-04-2008 को या इससे पूर्व जमा करना है।

(9) यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म स0 दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से हस्तातरण करदिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से क्षतिपूर्ती अदा करनी होंगे।

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति भिजवाने की व्यवस्था करें।

(Dr. Shiv Kumar)
Asstt. P. F. Commissioner
Haldwani (Nainital)
~~कृते~~ सहायक भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्न प्रपत्र : एवं प्रपत्रो के नमूने की एक प्रति।

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित निर्देश।
2. लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निर्देश।
3. विभिन्न प्रपत्रों के नमूनो की एक प्रति।

प्रतिलिपि

1. श्री / श्रीमती .... प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म - क की दो प्रतियाँ स्थापना से प्राप्त करें एवम् आवृत्ति निधि अंतिम किये जाने संबंधी प्रस्तावों एवं माह के अन्दर प्रेषित करें।
2. लेखा अनुभाग उपक्षेत्रीय कार्यालय यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री / स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है। इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाये।
3. क्षतिपूर्ति शाखा .... अनुभाग।